<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/ डिक्री/टी ए/46/2004/सवाईमाधोपुर</u>

1. श्रीचन्द 2.पांच्या 3.लोहडया 4. कन्हैया पिसरान जन्सी जाति मीणा निवासी जस्टाना तहसील बोली जिला सवाईमाधोपुर

अपीलार्थी

बनाम

1. घीसया पुत्र मांगया
2. हजारी पुत्र मांगया
3. परसादी पुत्र पांचया
4. हरिकेश पुत्र लोहडया जाति मीणा निवासीगण जस्टाना
5. सरकार जरिये तहसीलदार बोली

प्रत्यर्थीगण

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक अपीलार्थी

श्री जे.के.पारीक अभिभाषक प्रत्यर्थीगण
श्री राकेश अरोडा अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 24.01.19

1. यह राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13–11–03 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1व2 वादीगण ने अपीलार्थीगण व अन्य प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध उप जिला कलेक्टर बोली के न्यायालय में एक वाद अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के तहत वादपत्र में अंकित आराजी खसरा नम्बर 1520 रकबा 1 बीघा 6विस्वा एवं खसरा नम्बर 1414 रकबा 4 बीधा 13विस्वा के बाबत प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर कुल चार तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 16–8–02के द्वारा दावा वादी डिक्री कर प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13–11–03 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर से उप जिला कलेक्टर बोली को ट्रान्सफर की गई लेकिन उन्हें तारीख पेशी की सूचना नहीं मिल पाने से विचारण न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है। प्रत्यर्थी वादी ने दिनांक 23–9–85को इकरारनामा ग्राम पंचायत के समक्ष लिखा था जिसे सरपंच ने तस्दीक किया है। उक्त इकरारनामे के आधार पर कब्जा हमारा होने से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं था। हमारे द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम जो खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत था उसके बाबत भी कोई फाइन्डिंग अपने निर्णय में नहीं दी है। बेचान का इकरारनामा लिखना स्वयं प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है। इसलिये हम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के हकदार हैं। प्रत्यर्थी ने

इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पिछले 36 साल से कब्जा कब्जा अपीलार्थी का है। कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य हैं।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय से रिमाण्ड होने पर दिनांक 18–10–2000 को दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 23–1–2001को प्रतिवादीगण को तामील हो चुकी थी लेकिन उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 5–11–01 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। दिनांक 2–5–2002 को प्रतिवादी के अभिभाषक श्री राजकुमार कुर्मी उपस्थित हुये है और साक्ष्य हेतु समय चाहा है लेकिन एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इकरारनामा दिनांक 23–9–85 पर एक भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। फर्जी दस्तावेज से रहन लेना बताया जिसके आधार पर प्रतिवादी को कोई हक हासिल नहीं होता है। पी डब्लू–3 लोहडया के द्वारा कब्जा वादी का माना है। खसरा गिरदावरी के आधार पर अपीलार्थी को खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रत्यर्थी वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेंदार काश्तकार हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

6. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि विचारण न्यायालय में बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज होने पर उसके विरूद्ध अपील होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 24–3–99 से प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये

गये हैं। अपीलार्थी को दिनांक 30–12–2000 को उपस्थित होने के नोटिस तामील हुये हैं। नोटिस पर हस्ताक्षर स्वयं अपीलार्थी श्रीचन्द के हैं व अन्य पर भी नोटिस की तामील हुई है। नोटिस तामील होने के बाबजूद अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये हैं। दिनांक 23–1–2001को प्रतिवादीगण को तामील हो चुकी थी लेकिन उपस्थित नहीं हुये। तत्पश्चात दिनांक 5–11–01 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। दिनांक 2–5–2002 को प्रतिवादी के अभिभाषक श्री राजकुमार कुर्मी उपस्थित हुये है और साक्ष्य हेतु समय चाहा हैं। तत्पश्चात दिनांक 12–7–02 व दिनांक 26–7–02 को वकालतनामा पेश करने का समय चाहा है। दिनांक 2–8–02 को श्री राजकुमार कुर्मी ने वकालतनामा पेश किया है और आगामी पेशी दिनांक 8–8–02 वास्ते बहस नियत की गई है। दिनांक 8–8–02 को वकील वादी उपस्थित है लेकिन न तो प्रतिवादीगण उपस्थित हुये है और न ही वकील प्रतिवादीगण उपस्थित हुये। वकील वादी की एकतरफा बहस सुनकर वास्ते आदेश दिनांक 16–8–02 नियत की गई है और दिनांक 16–8–02को निर्णय पारित किया गया है। जब अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर वकालतनामा पेश करने हेतु तीन अवसर लिये और चौथी बार दिनांक 2–8–2002 को वकालतनामा पेश कर दिया, उसके बाद दिनांक 8–8–02 को न तो प्रतिवादीगण उपस्थित हुये और न उनके अभिभाषक उपस्थित हुये। ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास एकतरफा में बहस सुनकर निर्णय पारित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा भी प्रतिवादीगण द्वारा एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। उक्त पारित एकतरफा आदेश को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। इसलिये पारित उक्त एकतरफा आदेश अन्तिम हो चुका है।

8. पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श–1जमाबन्दी सम्बत 2038–41 के अनुसार घीसा पुत्र मांग्या कौम मीणा खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी सम्बत 2012–18 के अनुसार भी कब्जा प्रत्यर्थी का प्रमाणित होता है। अपीलार्थी के कब्जें का आधार इकरारनामा दिनांक 23–9–85 है जो अन रजिस्टर्ड व अन स्टाम्पड है जिसको साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता। इस इकरारनामे से रहन का तथ्य प्रकट होता है। यदि थोडी देर के लिये प्रत्यर्थी वादी की आराजी को प्रतिवादी के रहन भी मान लिया जावे तो भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद ऐसे रहन की अवधि पांच वर्ष मानी गई है। पाचं वर्ष के बाद स्वतः रहन से बागुजाश्त होने का कानून में प्रावधान है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुये विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को डिक्री करने और प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम को खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलीय न्यायालय द्वारा सही रूप से पुष्टि की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224readwith Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not acquired title by sale deed- Therefore in this cecond appeal unless it is found that the findkigs recorded are illegal or purchase in nuture, till lthen this court cannot disturb the concureent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

9. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष